वित्तायुक्त, राजस्व, हरियाणा, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ भेजी जाती है।

मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 28/21/78-जी0एस0-II, दिनांक 20 अक्तूबर, 1978 की प्रति।

विषय : परिवार नियोजन प्रोग्राम—विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करना।

महोदय,

मुझे यह कहने के निदेश हुये हैं कि उपरोक्त विषय पर इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 1452-जी0एस0-70/7417, दिनांक 30 मार्च, 1970 द्वारा हिदायतें जारी की गई थीं कि 1500 रुपये तक वेतन पाने वाले जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की धर्मपत्नियां (Gyance strilisation), यानि दूसरा डिलिवरी नलबन्दी आप्रेशन करवायें, उन अधिकारियों/कर्मचारियों को 7 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जाये। तत्पश्चात् इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 3260-2 जी0एस0-71/18484, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा स्पष्ट किया गया था कि ये अवकाश संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों में उनकी धर्मपत्नियों के आप्रेशन के समय ही दिया जाये। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि यह सुविधा कथित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी धर्मपत्नियों के (puerperal sterilisation), यानि डिलिवरी के समय नलबन्दी आप्रेशन करवाने पर भी दी जाये। यह निर्णय कृपया सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाये।

2. यह वित्त विभाग के उनके अशा0 क्रमांक 11/1(2)/78-1, दिनांक 28 सितम्बर, 1978 द्वारा व्यक्त की गई सहमति के साथ जारी किया गया है।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार